

पूर्वोत्तर रेलवे
इज्जतनगर मंडल

अगसौली स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बडी लाइन)

संख्या : इज्जतनगर/25

जारी तिथि : 22.4.2013

लागू तिथि : 2.5.2013

पुनरीक्षण तिथि: April-18

“बी” श्रेणी, इकहरी लाइन अर्न्तपाशित, मानक-III
बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित,

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

[सामान्य एवं सहायक नियम 8.01 (1), (क), (ग), 2(ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (II) देखें]

टिप्पणी - 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/ 25 दिनांक 25.4.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा।

2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू सामान्य एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी पढा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख

सी०एस०टी०ई०/कान/पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या NER/IZN/AUL /SIP/2007/VER-ZERO/28 पर आधारित इस स्टेशन का नियम आरेख संख्या उपमुसिदूई /निर्माण/ल०जं०/2008 (आर०डी०)/5 दिनांक 16.01.2008 संलग्न है जिसमें कार्टों सिगनलों तथा लाइनों की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कार्टों तथा लाइनों की संख्या उल्लेख करना आवश्यक है।

2. स्टेशन का विवरण -

2.1 सामान्य स्थिति -

अगसौली स्टेशन कासगंज-मथुरा जं० मार्ग पर इकहरी बडी लाइन पर “बी” श्रेणी का स्टेशन है तथा कासगंज जं० से 19.31 किमी० तथा मथुरा जं० से 85.69 किमी० की दूरी पर स्थित है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

2.2 दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगे -

2.2.1 ब्लॉक स्टेशन -

मारेहरा (पूर्व दिशा में) : 8.45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

सिकंदरा राऊ (पश्चिम दिशा में) : 9.66 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

नान ब्लॉक स्टेशन - कोई नहीं।

2.2.2 आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति - इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस स्थित नहीं है।

2.2.3 बाहरी साइडिंग - कोई नहीं।

2.3 स्टेशन के दोनों ओर के ब्लाक खंड -

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहां से "ब्लाक खंड" शुरू होता है।	वह स्थान जहाँ "ब्लाक खंड" समाप्त होता है।
अगसौली - मारहरा	अगसौली स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11	मारहरा स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2
अगसौली-सिकंदराराऊ	अगसौली स्टेशन के अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2	सिकंदराराऊ स्टेशन के डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11

2.4 ढलान यदि कोई हो - कोई नहीं।

2.5 अभिन्यास - अभिन्यास तीन लाइनों का है। लाइन संख्या 1, 2 व 3 परिचालित लाइनें हैं।

2.5.1 परिचालित लाइनें तथा उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०) :-

(क)

परिचालित लाइन सं०	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस० आर०)	टिप्पणी
लाइन सं० 1	730 मीटर	लूप लाइन मीडियम लेबल यात्री प्लेट फार्म के साथ
लाइन सं० 2	686 मीटर	मेन लाइन
लाइन सं० 3	730 मीटर	लूप लाइन रेल लेबल प्लेटफार्म के साथ

(अतुल सिंह)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ख) परिचालित लाइन संख्या 2 सीधी लाइन है। परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 ट्रैक सर्किटेड है। रेल पथ परिपथ अप होम सिगनल से आगे 5 रेल तक तथा डाउन होम सिगनल के आगे पॉच रेल तक दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर लाइन के अभिघृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।
- (ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है।

2.5.2 अपरिचालित लाइने, उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई एवं ग्राह्य क्षमता- कोई नहीं ।

2.5.3 अभिन्यास में कोई विशेष बातें - कुछ नहीं ।

2.6 समपार फाटक

स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटकों की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण निम्न है -

फाटक संख्या	श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाडी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक							
270	सी	अप शन्ट सिगनल संख्या एसएच-32 तथा कौटा संख्या 204ए के मध्य	सडक यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटक वाला	अन्तर्पाशित	स्टेशन मास्टर के साथ टेलीफोन	नहीं
इन्जीनियरिंग समपार फाटक							
कोई नहीं							

नोट - समपार फाटक के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत विवरण परिशष्ट 'क' देखें ।

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

3. संचालन की पद्धति एवं साधन -

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों **सिकंदराराऊ** तथा **मारहरा** से इकहरी लाइन पर पूर्ण ब्लाक पद्धति' कार्य प्रणाली लागू है -

प्रदत्त ब्लाक यंत्र के प्रकार	सहकारी / असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाभियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
इकहरी लाइन वाला पुश बटन टाइप टोकनलेस ब्लाक यंत्र दूरभाष युक्त एक्सल काउन्टर के साथ मारहरा तथा सिकंदरा राऊ स्टेशनों के साथ समान प्रकार के ब्लाक यंत्र से पृथक-पृथक सम्बद्ध ।	असहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	--

[विशेष रूप से सहायक नियम 14.01 (क), 14.02 से 14.06, 14.11, 14.12, 14.13 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें ,

टिप्पणी - कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही ब्लाक यंत्रों को संचालित करता है।

[सहायक नियम 14.02 (V) एवं सामान्य नियम 14.03 एवं सामान्य तथा सहायक नियम 14.04 देखें]

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन की पद्धति --

अगसौली स्टेशन पैनल अन्तर्पाशित मानक-III बहु संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है तथा यहाँ लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कॉटों तथा सिगनलों का संचालन स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। दोनो छोर पर होम सिगनल व विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर सिगनलो के मध्य एक्सल काउन्टर का प्रावधान है। इनके रिसेट बाक्स स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें।

प्रदत्त सिगनल -**(क) अप आगमन सिगनल (मारहरा से) -**

(I) अप डिस्टेन्ट सिगनल ए-12

अप होम सिगनल सं० एस-12 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मेन लाइन सं० 2 के लिए

(III) अप होम सिगनल सं० एस-12 (दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 1 के लिए

(IV) अप होम सिगनल सं० एस-12 (बायां जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 3 के लिए

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (सिकंदराराऊ को)

- (I) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-4 मेन लाइन संख्या - 2 से
 (II) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-6 लूप लाइन संख्या - 1 से
 (III) अप स्टार्टर सिगनल संख्या एस-8 लूप लाइन संख्या - 3 से
 (IV) अप अग्रिम प्रस्थान सिग० सं० एस-2(टोकन लेस ब्लॉक यंत्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति द्वारा नियंत्रित)
 (ग) **अप कालिंग आन सिगनल संख्या - सी-10**
 अप होम सिगनल संख्या एस-12 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

(घ) शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-32 कांटा संख्या 204ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है।	मारहरा छोर से लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
अप शंट सिगनल सं० एसएच-26 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से सिकंदरा राऊ छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-24 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से सिकंदरा राऊ छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
अप शंट सिगनल संख्या एसएच-28 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-8 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से सिकंदरा राऊ छोर पर अप एडवांस स्टार्टर संख्या एस-2 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(ङ) डाउन आगमन सिगनल (सिकंदरा राऊ से) -

- (I) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल ए- 1
 (II) डाउन होम सिगनल सं० एस-1 (जंक्शन इंडिकेटर रहित) मुख्य सीधी लाइन सं० 2 के लिए
 (III) डाउन होम सिगनल सं० एस-1 (बायां जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन संख्या 1 के लिए
 (IV) डाउन होम सिगनल सं० एस-1 (दाहिना जंक्शन इंडिकेटर सहित) लूप लाइन सं० 3 के लिए

(च) डाउन प्रस्थान सिगनल (मारहरा को) -

- (I) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 लाइन संख्या 1 से ।
 (II) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 लाइन संख्या 2 से ।
 (III) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 लाइन संख्या 3 से ।
 (IV) डाउन एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-11 (टोकन लेस ब्लॉक यंत्र की ट्रेन गोइंग टू स्थिति द्वारा नियंत्रित) ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(छ) डाउन कालिंग आन सिगनल संख्या : सी -3

डाउन होम सिगनल संख्या एस-1 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है ।

(ज) शंट सिगनल :

सिगनल संख्या	सिगनल की स्थिति
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-31 कांटा संख्या 201ए के बाहर स्वतंत्र खम्भे पर प्रदत्त है ।	सिकंदरा राऊ छोर से लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 में शंटिंग के लिये आने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-25 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 2 से मारहरा छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-27 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 1 से मारहरा छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।
डाउन शंट सिगनल संख्या एसएच-29 अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-9 के नीचे उसी खम्भे पर प्रदत्त है।	लाइन संख्या 3 से मारहरा छोर पर डाउन एडवांस स्टार्टर संख्या एस-11 तक शंटिंग के लिये जाने हेतु।

(झ) पुनरावर्तक (रिपीटर) - कोई नहीं ।

4.1.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं । यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु रूट बटन एवं सिगनल बटन प्रदत्त हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।

(ग) दोनों ओर के होम सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जंक्शन इंडिकेटर दिये गये हैं। जंक्शन इंडिकेटर सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ डाइवर्जिंग रूट इंगित करेगीं।

(घ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल रिलीज लाक को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण वियोजित कर देता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी कार्यरत स्टेमा० अपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई०जी०जी०एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलो को 'आफ' से 'आन' स्थिति में वापस कर सकता है।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ड) मेन लाइन के प्रस्थान सिगनल के हरे आस्पेक्ट पर तथा लूप लाइन प्रस्थान के पीले आस्पेक्ट पर अग्रिम प्रस्थान सिगनल का नियन्त्रण है। कार्यरत स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैंन्सीलेशन बटन EUYN के साथ सिगनल बटन को दबाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते हैं।
- (च) स्टेशन मास्टर आफ किये गये सिगनल को आन करने के बाद रूट कैंन्सीलेशन बटन के साथ सिगनल बटन को बचाने पर निर्धारित 120 सेकेण्ड के बाद रूट निरस्त हो जाता है और कॉटे संचालन हेतु मुक्त (Free) हो जाते हैं।
- (छ) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

4.1.2 स्टेशन मास्टर पैनल :-

स्टेशन मास्टर के कमरे में स्टेशन मास्टर कंट्रोल पैनल का प्रावधान है जिससे पुश बटनों द्वारा मोटर कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन तथा समपार फाटकों का नियन्त्रण किया जाता है। इनकी स्थिति दर्शाने हेतु सूचक बत्ती का प्रावधान है। पैनल से कॉटों एवं सिगनलों आदि के संचालन हेतु एक साथ दो पुश बटन दबाना आवश्यक है। पैनल पर प्रदत्त पुश बटनों, इंडिकेशन तथा चाबी आदि का विवरण निम्न प्रकार है :-

4.1.3 स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी :-

स्टेशन मास्टर पैनल द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का अनाधिकृत संचालन रोकने हेतु पैनल पर यह चाबी लगी रहती है। जब तक यह चाबी पैनल से निकली रहेगी तब तक कॉटों, सिगनलों आदि के संचालन का कार्य विद्युतीय सम्बन्ध विच्छेदित रहेगा किन्तु कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल के पुश बटन एवं ई० जी० जी० एन० बटन एक साथ दबाकर सिगनलों को आफ' से आन' स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब कॉटा का लाक लाइट अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है। पैनल से स्टेशन मास्टर की चाबी निकली होने पर भी ये बटन आपरेट करने पर परिणाम देंगे।

चाबी लगाकर घुमा देने के पश्चात पैनल पर लगे पुश बटनों द्वारा कॉटों एवं सिगनलों आदि का संचालन किया जा सकता है। स्टेशन मास्टर की पैनल नियन्त्रण चाबी चाहे पैनल से बाहर निकली हो या पैनल में लगी हो सभी ट्रैक सर्किट, कॉटों, सिगनलों के आस्पेक्ट आदि का इंडिकेशन अंतिम संचालन स्थिति में प्रकाशित रहेंगे।

4.1.4 स्टेशन मास्टर की आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी :-

पैनल पर स्टेशन मास्टर की एक आपात कालीन रूट रिलीज़ चाबी का प्रावधान है। जब किसी कारणवश रूट रिलीज़ नहीं होता है तब स्टेशन मास्टर द्वारा इस चाबी को लगाने के पश्चात सिगनल बटन एवं ई०यू०यू०वाई०एन० (EUUYN) बटन को एक साथ दबाने पर रूट तुरन्त रिलीज़ हो जाता है तथा रूट के कॉटों संचालन के लिये मुक्त हो जाते हैं।

4.1.5 पुश बटन :- स्टेशन मास्टर पैनल निम्नलिखित पुश बटनों का प्रावधान है :-

(अतुल सिंह) (के०एस०सोनाल)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

4.1.6 सिगनल बटन :-

पैनल पर प्रत्येक सिगनल के लिये अलग-अलग पुश बटन का प्रावधान है जो सम्बन्धित सिगनल के निकट लगा हुआ है। सिगनल आफ करने हेतु जिस सिगनल को आफ करना है उस सिगनल का बटन एवं जिस लाइन पर गाड़ी को लेना अथवा भेजना है, उस लाइन पर स्थित रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल आफ हो जायेगा।

4.1.7 रूट बटन :

पैनल पर जिन लाइनों के लिए सिगनल "आफ" किया जाता है उन लाइनों पर अलग-अलग रूट बटन का प्रावधान किया गया है। सिगनल बटन एवं रूट बटन को एक साथ दबाने पर सिगनल "आफ" हो जाता है। जैसे कि लूप लाइन संख्या 1 व 3 में अप गाड़ी के आगमन हेतु अप होम सिगनल संख्या एस-12 को "आफ" करने के लिये सिगनल बटन संख्या एस-12 तथा लाइन संख्या 1 पर स्थित रूट बटन संख्या "बी" तथा लाइन सं० 3 पर स्थित रूट बटन "सी" को एक साथ दबाने पर रूट सेट हो जायेगा और सिगनल "आफ" हो जायेंगे। इसी प्रकार अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 को "आफ" करने के लिये लाइन क्लीयर प्राप्त करने के पश्चात सिगनल बटन संख्या एस-2 तथा रूट बटन संख्या "ई" को एक साथ दबाने पर अप एडवान्ड स्टार्टर सिगनल संख्या एस-2 "आफ" हो जायेगा।

4.1.8 काँटा बटन -

पैनल के दोनों सिरों पर कांटों के संचालन के लिए प्रत्येक कांटे के लिए उसका पुश बटन दिया गया है। कांटे को नार्मल स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा साथ में एन०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाना होगा इसी प्रकार कांटे को रिवर्स स्थिति में करने के लिए उस कांटे का बटन तथा आर०डब्लू०डब्लू०एन० पुश बटन दबाने से कांटा रिवर्स स्थिति में संचालित हो जायेगा। कांटों का अलग-अलग संचालन गाड़ियों को 'कालिंग आन' सिगनल पर रिसीव करने तथा गाड़ी के पूर्ण आगमन के पश्चात कांटों को नार्मल अथवा रिवर्स करने के लिए किया जायेगा।

(स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध अन्य बटनों के संचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' में उल्लिखित विवरण देखें।

4.1.3 रिमाइंडर कालर -

पैनल के ऊपर बने प्रोजेक्शनों पर लाल रंग के रिमाइंडर कालर का प्रावधान है जिन्हें आवश्यकतानुसार सिगनल या काँटा बटन पर लगा देने से उन्हें दबाया नहीं जा सकेगा। इससे स्टेशन मास्टर को पहले चेतावनी मिल जाती है कि उन्हें इस बटन को संचालित नहीं करना है।

4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द काँटे/पृथक्करण (आइसोलेशन) :

- (i) इस स्टेशन पर कोई स्थाई रूप से ताला बन्द काँटा नहीं है। यार्ड के दोनों छोर पर मेन लाइन को लूप लाइनो से आइसोलेट करने के लिए सैण्ड हैम्प/स्नैग डैड इन्ड का प्रावधान है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(ii) यार्ड में संकेतक युक्त ट्रैप कांटे :- इस स्टेशन पर कोई ट्रैप कांटा नहीं है।

4.1.6 विद्युत चालित कांटा मशीन/क्रैन्क हैण्डिल -

मोटर संचालित कांटों की विफलता की स्थिति में अथवा टेस्टिंग हेतु क्रैंक हैडिल द्वारा कांटों का संचालन किया जाता है। स्टेशन पर दो क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी सी०एच०-1 एवं सी०एच०-2 का प्रावधान है। क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी निकालने की पद्धति निम्नवत् है -

स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी का वाई०एन० एवं जी०बी०एन० बटन एक साथ दबायेंगे। विद्युत कांटा मशीन को आपात् कालीन संचालन हेतु जब सभी शर्तें पूर्ण होती है तो पैनल पर क्रैंक हैण्डिल बटन पर एक लाल बत्ती प्रकाशित हो जायेगी तब स्टेशन मास्टर धीरे से क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी को धुमाकर निकाल लेंगे।

परिशिष्ट “ख” के पैरा 7 में वर्णित विधि से कांटों का संचालन किया जाये तथा कार्य पूरा हो जाने पर क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी को पुनः क्रैंक हैडिल लाक में लगाकर पूर्ववत् स्थिति में घुमा दिया जाये। स्टेशन मास्टर द्वारा नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी का एलएन एवं जीबीएन बटन एक साथ दबाने पर क्रैंक हैण्डिल नियंत्रक चाभी लाक हो जायेगा तथा क्रैंक हैडिल के एलएन बटन के ऊपर क्रैंक हैडिल नियंत्रक चाभी लाक होने का सफेद इंडिकेशन प्रकाशित हो जायेगा

4.1.5.2 क्रैंक हैण्डिल एवं उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण निम्नवत है -

क्रैंक हैण्डिल संख्या	उनके द्वारा नियंत्रित कांटो का विवरण
सी एच - 1	201ए-201बी, 202ए-202बी
सी एच - 2	203ए-203बी, 204ए-204बी

4.1.5.3 प्रत्येक समय जब क्रैंक हैण्डिल द्वारा परिचालित कांटों के हस्त प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस संबंध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये-

क्रम सं०	क्रैंक हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डिल चाभी निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डिल चाभी निकालने का उद्देश्य विफलतायें परीक्षण	क्रैंक हैण्डिल चाभी निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	वीडर काउन्टर द्वारा पंजीकृत संख्या	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डिल चाभी वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

अगसौली

4.2 रिले कक्ष की चाभियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हे लेने देने की कार्य पद्धति -

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इंटर लाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एव एस० एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिये। इसकी आवश्यकता पडने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस० एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात् ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाभी सौपनी चाहिये।

4.3 विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई) -

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः दो IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। **(विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)**

5. दूर संचार - स्टेशन मास्टर कार्यालय में निम्नलिखित टेलीफोन प्रदत्त हैं :-

- 1 .इज्जतनगर नियंत्रण कार्यालय से सम्बद्ध नियंत्रण टेलीफोन ।
2. बी०एस०एन०एल० फोन ।
3. अगसौली तथा मारहरा स्टेशन के टोकनलेस ब्लॉक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
4. अगसौली तथा सिकंदरा राऊ स्टेशन के टोकनलेस ब्लॉक यत्र से सम्बद्ध साइड टेलीफोन ।
5. ट्रैफिक समपार संख्या 270/सी से संबद्ध मैगनेटो टेलीफोन ।
6. बी०एच०एफ० सेट 25 वाट ।

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाडी संचालन कार्यप्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखे)

6. गाडी संचालन की प्रणाली

गाडियों का आगमन एवं प्रस्थान सामान्य एवं सहायक नियम 3.37 से 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12 एवं 8.13, 4.17 में उल्लेखित अनुदेशों के अनुसार गाडियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल 'आफ' किये जायेंगे।

1) गाडियों का आगमन

जब परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 पर गाडियों का आगमन कराना हो तो स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

- (क) जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ अभिधारिता (आक्यूपेन्सी) बततियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है।
- (ख) सुनिश्चित करें कि वाँछित लाइन जिस पर आगमन अभिप्रेत है, साफ एवं बाधा रहित है लाइन निम्न स्थान तक साफ होना चाहिए।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(प) अप गाड़ियों के लिए -

- (अ) लाइन संख्या 1 एवं 3 पर आगमन के लिए सैण्ड हम्प तक या अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-2 तक।

(ii) डाउन गाड़ियों के लिए -

- (अ) लाइन संख्या 1 एवं 3 पर आगमन के लिए स्नैग डेड एण्ड / सैण्ड हम्प तक या डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।
- (ब) लाइन संख्या 2 पर आगमन के लिए डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या एस-11 तक।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाभी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनाये।
- (घ) सुनिश्चित करें कि अप गाड़ी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर आगमन के लिये गेट संख्या **270/सी** या डाउन गाड़ी लाइन संख्या 1, 2 व 3 पर मेन लाइन बनाकर लेते समय ट्रैफिक समपार संख्या **270/सी** को बन्द कर दिया गया है। गेट नियंत्रण बटन संख्या 551 दबा दिया गया है जिससे गेट संख्या **270/सी** के बन्द होने का इंडिकेशन पैनल पर दिखाई देगा।
- (ङ) आनेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'बी' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले तथा ओवरलैप के ट्रैक सर्किटों पर सफेद बत्तियाँ जल जायेंगी।
- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट लघु सफेद बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित आगमन सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये आगमन सिगनलों के आफ होने का सूचक है।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल 'आन' स्थिति में हो गये हैं।
- (ञ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जब गाड़ी होम सिगनल पार करती है तो आगमन सिगनल "आन" स्थिति में हो गये हैं। जैसे ही गाड़ी होम सिगनल को पार करेगी स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर एक बजर बजने लगेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर जब गाड़ी पूर्णरूपेण विपरीत दिशा के एडवान्स स्टार्टर के अन्दर आ जाये तब होम सिगनल बटन को दबाकर एकनालेज करें तो यह बजर बजना बन्द हो जायेगा। ध्यान रखें कि उनके ऐसा नही करने या बजर बजने से पूर्व ही इसको एकनालेज कर लेने से ब्लाक यन्त्र विफल हो जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ट) स्टेशन पैनल को देख लें कि आने वाली गाड़ी जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों पर आती जाती है जैसे जैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बल्लियां बुझकर लाल बल्लियां जल जाती हैं। और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है जैसे जैसे लाल बल्लियां बुझ जाती हैं और सफेद बल्लियां फिर जल जाती हैं।
- (ठ) गाड़ी का पूर्ण आगमन व कांटों को पार करके उल्लंघन चिन्हों के अन्दर आ जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ियों की क्रासिंग की स्थिति में दोनों ओर के कांटों को अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट करें। गाड़ी के स्टेशन से प्रस्थान हो जाने के पश्चात कांटो एवं सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में करके पैनल कंट्रोल चाभी पैनल से निकालकर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
(ब्लाक लाइन के विरुद्ध कांटो को सेट करने के लिए सा० एव स० नि० 05.19 देखियें तथा एक्सल काउन्टर की विफलता की स्थिति में की जाने वाली कार्यवाही हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4.5 देखें)

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य -

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, फाटकवाला एवं कौटावाला के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पारी में गाड़ी संचालन कर्मचारी

(क) दिन की पाली

स्टेशन मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटा वाला	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

(ख) सॉन्ध/रात्रि पाली

स्टेशन मास्टर	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
कौटा वाला	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
फाटक वाला	01	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों के क्लियरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। सामान्य नियम 3.38 (ग), 3.40 (3) देखे,

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारी का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी प्रकार भी गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो अपना कार्यभार स्वतंत्र रूप से ग्रहण करने से पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 दिन या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हो अपना कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से देंगे।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) देखे)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें -

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा आगमन अनुमति कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि -

- (क) सम्पूर्ण अन्तिम पूर्ववर्ती गाडी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाडी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन स्टेशन पर प्रत्याशित गाडी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।

[विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 8.03 (2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें]

6.2.1 गाडी के स्टेशन पर आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें -

विचलन : सामान्य नियम 3.40 (i) (b) के अनुसार गाडियों के आगमन की स्थिति में पर्याप्त दूरी सामान्यतः रुकने के स्थान से मापी गयी है, जैसा कि :

- (क) लाइन संख्या 1 व 3 के लिये अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-6 व एस-8 से
- (ख) लाइन संख्या 1 व 3 के लिये डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-7 एवं एस-9 से

6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कार्टों को अन्य लाइन के लिये सेट करना -

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुलड लोड अथवा क्रसिंग/प्रीसीडेन्स के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के कॉटे अवरुद्ध लाइन के विपरीत सेट किये जाये।

[सहायक नियम 5.19 (1) (a) (ii) (b)(ii), (2) (i)(ii)(iii), (5)(ii)(f) देखें]

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाडी का आगमन -

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाडी को प्राप्त करना हो तो सामान्य नियम 5.09 (1) (a) (b) (c), (2)(c), (3) (a) (b)(i) तथा सहायक नियम 5.09 (1) (a) (b) (c) के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का आगमन -

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाडी का प्रस्थान -

इस स्टेशन पर बिना सिगनल वाली लाइन नहीं है।

6.2.1.5 कामन प्रस्थान सिगनल वाली लाइन से गाडी प्रस्थान करना -

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का संदर्भ देते हुये अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना - कोई नहीं।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

6.3 आगमन सिगनल को आफ करने की शर्तें -

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाडी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाडी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कौटे वॉछित लाइन के लिये सेट एवं लाक है।
- (ग) लाइन जिस पर गाडी लेनी है सम्मुख कौटों के आगे गाडी के सम्मुख पडने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।
- (ङ) अप गाडियों के आगमन एवं डाउन गाडियों के लाइन संख्या 1 व 3 पर (मेन लाइन बना कर) तथा 2 पर आगमन के समय समपार संख्या 270/ सी गेट अनुदेशों के अनुसार सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द एवं पाशित होना चाहिये।

6.3.1 'आफ' किये गये सिगनलों को पुनः आन करने के लिये स्टेशन मास्टर का दायित्व

किसी गाडी के संपूर्ण आगमन के बाद सभी संबंधित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाये। सहायक नियम 3.38 (iv) देखें।

6.4 गाडियों का एक साथ आगमन/प्रस्थान, गाडियों की क्रासिंग तथा गाडियों को प्राथमिकता देना

(क) इस स्टेशन पर गाडियों के एक साथ प्रवेश/प्रस्थान की अनुमति निम्न प्रकार है -

- (i) अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।
- (ii) अप ट्रेन का लाइन संख्या ३ पर आगमन
और
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।
- (iii) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन
और
अप ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन
या
डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 या 2 से प्रस्थान ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(iv) डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 1 पर आगमन

और

अप ट्रेन का लाइन संख्या 3 पर आगमन

या

डाउन ट्रेन का लाइन संख्या 2 या 3 से प्रस्थान ।

(ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ियों के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रासिंग प्राधिकृत है। [सहायक नियम 5.01 (14) देखें]

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन -

(क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ी के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एल०वी० बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करे कि गाड़ी पूरी आ गयी है / चली गयी हैं।

(ख) रुकने वाली अप गाड़ियों के मामले में यातायात समपार 270/सी पर कार्यरत गेटमैन गाड़ी के अन्तिम वाहन पर लगे LV/TL को देखकर कार्यरत स्टेशन मास्टर को गाड़ी के पूर्ण आगमन की सूचना प्राईवेट नं० के साथ देगा तथा स्टेशन मास्टर एवं गेटमैन इसे अपने-अपने लॉग रजिस्टर में लिखेंगे। अप गाड़ी अपूर्ण आने की स्थिति में तथा डाउन गाड़ी के मामले में कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ी का पूर्ण आगमन ट्रेन इन्टेक्ट रजिस्टर टी/1410 पर गार्ड से रिकार्ड करायेगा। गाड़ी के गार्ड से टी/1410 पर सम्पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र मिल जाने पर स्टेशन मास्टर ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लोज करेगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4-17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान -

1. जब गाड़ियों का प्रस्थान अभिप्रेत हो, तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि -

- (क) संलग्न अगले ब्लाक स्टेशन से टोकन लेस ब्लाक यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें।
- (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालें में लगाये ओर ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर संबंधित संकेत उपलब्ध हो तथा डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 270/सी सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है। जिससे फाटक संख्या 270./सी के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देंगे।
- (ङ) जानेवाली गाड़ी के लिये वांछित रूट लगाने तथा सिगनल आफ करने के लिये स्टेशन संचालन नियम में संलग्न परिशिष्ट 'ख' के अनुसार सिगनल बटन तथा रूट बटन एक साथ दबायें।
- (च) सिगनल के रूट में पड़ने वाले कांटे स्वतः सेट हो जायेंगे तथा सिगनल आफ हो जायेगा।
- (छ) सिगनल के रूट में पड़ने वाले ट्रैक सर्किटों पर सफेद बलितियाँ जल जायेगी।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

- (ज) स्टेशन पैनल पर देख लें कि प्वाइंट्स के निकट सफेद लघु बत्ती जल गई है जो सम्बन्धित कांटों के सेट की स्थिति में विद्युत द्वारा लाक होने की सूचक है। इनके साथ ही देख लें कि सम्बन्धित प्रस्थान सिगनलों का आस्पेक्ट भी स्टेशन पैनल पर आया है जो गाड़ी के लिये प्रस्थान सिगनलों के आफ होने का सूचक है। इसके पश्चात् अप गाड़ियों के लिये तीन-तीन तथा डाउन गाड़ियों के लिये दो-दो स्पष्ट घंटियां बजा कर गाड़ी चलाने की अनुमति गार्ड को दी जायेगी।
- (झ) स्टेशन पैनल पर देख लें कि जैसे जैसे जाने वाली गाड़ी ट्रैक सर्किटों पर पहुंचती है वैसे वैसे ट्रैक सर्किटों की सफेद बत्तियां बुझकर लाल बत्तियां जल जाती हैं और उनसे सम्बन्धित सिगनल “आन” हो जाते हैं और जैसे जैसे गाड़ी ट्रैक सर्किटों को पार कर जाती है वैसे वैसे लाल बत्तियां बुझ जाती हैं और सफेद बत्तियां फिर से जल जाती हैं।
- (ट) गाड़ी का पूर्ण रूप से एडवांस स्टार्टर को पार कर जाना सुनिश्चित करने के बाद कांटों, सिगनलों को उनकी सामान्य स्थिति में करके पैनल कन्ट्रोल चाभी पैनल से निकाल कर अपनी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रख लें।
- (ठ) रेल पथ परिपथ की विफलता अथवा रेल पथ परिपथ बल्बों के फ्यूज होने पर परिचालित लाइनों का साफ होना कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

2. प्रस्थान सिगनल 'आफ' करने की शर्तें

- (क) उस ब्लाक स्टेशन से जिधर गाड़ी को भेजना है, लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो।
- (ख) प्रस्थान हेतु मार्ग सेट एवं पाशित कर दिया गया हो।
- (ग) स्टेशन मास्टर नियंत्रण पैनल पर संबंधित साफ संकेत उपलब्ध है।
- (घ) डाउन गाड़ी के मामले में गेट संख्या 270/सी सड़क यातायात के विरुद्ध बन्द है, सुनिश्चित करके गेट नियंत्रण बटन क्रमशः 551 लाकड स्थिति में दबा दिया गया है जिससे फाटक संख्या 270/सी के बन्द होने के संकेत पैनल पर दिखायी देना चाहिये।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना -

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पडने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 4.09 देखे।)

6.7 गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन थ्रू)

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबंधों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

अगसौली

(ख) यदि यह आवश्यक हो कि कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या 1 या 3 से बिना रूके सीधे जाये तो इसकी अनुमति प्रतिबंधित गति से दी जा सकती है। निकट सिगनल तथा प्रस्थान सिगनलों को 'आफ' कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल 'आफ' संकेत तभी धारण करेगा जब गाड़ी सम्बन्धित लाइन के बर्थिंग ट्रैक पर आ जाती है।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति -

कॉटों एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, सामान्य नियम 3.68 (1) (2) (3), 3.70 (1)(2)(3) तथा सहायक नियम 3.68 (2)(ii)(3)(i)(ii)(c)(i), 3.69(1)(i)(ii)(iii), 3.39(i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख एवं अनुमुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करे।

स्पष्ट किया जाता है कि सामान्य एवं सहायक नियम 3.49 (2) (बी) के अनुपालन में स्टेशन के समस्त सिगनल कलर लाइट एवं पोजीशन लाइट होने के कारण दिन एवं रात अनवरत प्रकाशित रखा जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर साधारण एवं सहायक नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यंत्र विफल हो जाने पर सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट 'घ' के नियम 2 से 4 एवं 7 (I) (II) तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन सामान्य एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

6.9 ट्रालियों/मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्यप्रणाली -

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पद्धति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली को अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलों को 'आफ' स्थिति में कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछ आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलों को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है। (सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 देखें)
- (घ) टोकेनलैस प्रखण्ड में मोटर ट्राली चलाने के समय चूँकि एडवॉस स्टार्टर को आफ नहीं किया जा सकता है, ऐसी स्थिति में स्टेशन के इन्टरलाक समपारों को नान-इन्टरलाक मानते हुए मोटर ट्राली को प्रस्थान प्राधिकार सौंपने से पूर्व गेटमैन से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य किया जाय। (सामान्य एवं सहायक नियम 15.21 से 15.28 देखें)

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। **तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।**
2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा।
3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो/वैगनो/ लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। **वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।**

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रोक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रोक खड़ा हो, तो हर रोक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रोक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खड़ा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। वाहन/वाहनो/लोड का सिक्वोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्वोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय,तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।

टिप्पणी :

- 1 बी०ओ०एक्स०, बी०ओ०बी०एस०, बी०ओ०आई०, बी०आर०एच० तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- 2 जहाँ शंटिंग आवश्यक हो, निम्नलिखित सावधानियों उपयोगी रहेंगी -
 - (क) जब अकेले रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक की शंटिंग की जा रही हो तो अधिकतम संगठन गति (**Impact Speed**) प्रति घंटा 5 किमी० से अधिक नहीं होनी चाहिये।
 - (ख) जब रोलर बियरिंग लगे हुये एक साथ जोड़ में, पाँच वाहनों की शंटिंग की जा रही हो, तो अधिकतम प्रभावी संगठन गति (**Impact Speed**) 2.4 किमी० प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(सामान्य एवं सहायक नियम 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।)
- 8 **शंटिंग**
शंटिंग संबंधी नियमों के संदर्भ हेतु सामान्य एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14, एवं 8.15 देखे।

8.1 **ब्लाक खण्ड साफ होने पर शंटिंग** (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है
- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
 - (II) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल आन स्थिति में हो ।
 - (III) जिस ब्लाक खण्ड में शंटिंग की जानी है वह आने वाली गाडी से खाली हो ।
 - (IV) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर दी जाये ।

(ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शंटिंग**-निम्न शर्तों के साथ शंटिंग की अनुमति है

- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
- (II) संबंधित सिगनल आन स्थिति में हों ।
- (III) संबंधित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- (IV) चालक को टी / 806 प्रपत्र पर शंटिंग आदेश दिया जाना चाहिये ।

8.2 **आती हुयी गाडी की दिशा में शंटिंग** (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बंधित होम तथा अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को आन स्थिति में रखते हुये वाहयतम सम्मुख कौटो तक शंटिंग की अनुमति है ।
- (ख) वाहयतम सम्मुख कौटों के बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शंटिंग करने की अनुमति है ।
- (I) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त सक्षम कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
 - (II) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हो ।
 - (III) संबंधित होम सिगनल तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में हो तथा
 - (IV) गाडी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शंटिंग बन्द कर दी जाये ।

8.3 **जाती हुयी गाडी के पीछे शंटिंग**

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शंटिंग की अनुमति है-

- (I) जाती हुयी गाडी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- (II) सभी संबंधित सिगनल आन स्थिति में हो ।
- (III) होम सिगनल की दृश्यता स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से बाधित न हो ।
- (IV) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शंटिंग का प्रभारी हो ।
- (V) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम सिगनल तक शंटिंग करने हेतु लिखित अनुमति टी/806 पर दी जाये ।

8.4.1 **शंटिंग पर प्रतिबन्ध:-**आती हुई गाडी के सामने घने कोहरे एवं धुन्ध में स्टेशन सेक्शन के बाहर शंटिंग की अनुमति नहीं है ।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

8.4.2 **शॉटिंग का कोई विशेष पहलू -**

(क) यार्ड के मारहरा छोर पर होम सिगनल तक शॉटिंग करते समय ट्रैफिक गेट सं० 270/सी को बन्द एवं लाक कराकर इनका नियन्त्रण बटन क्रमशः 551 को लाकड स्थिति में दबाया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(ख) **शॉटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-**

1. सामान्य पर्यवेक्षण
2. सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
3. यह सुनिश्चित करना कि शॉटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों की कपलिंग ठीक ढंग से जोड़ दी गयी है।
4. गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शॉटिंग की जा रही है तथा कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना।
5. शॉटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना। (सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.5 **स्टेशन यार्ड / माल यार्ड से निकलने वाली साइडिंग में शॉटिंग -** कुछ नहीं।

8.6 **आउट लेइंग साइडिंग की कार्य विधि -** कोई नहीं।

9 **असामान्य परिस्थितियों**

(क) **असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया:**

(I) (अ) ट्रेन सिगनलिंग उपकराणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन / कन्ट्रोल टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट द्वारा ही दिया जाना चाहिये।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 14.13 से 14.22 एवं 14.25 तथा सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट 'घ' देखे।)

(II) (ब) ब्लाक टेलीफोन अथवा बी०एस०एन०एल० फोन अथवा बी०एच०एफ० सेट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की संभावना रहती है।

2 (अ) नियंत्रक कि माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल० फोन से लाइन क्लीयर मागने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है अपने स्टेशन जहां से लाइन क्लीयर मांगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मागने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा।

2 (ब) **वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेना/देना -**

वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर लेने/देने के समय निम्न निर्देशों का पालन अवश्य किया जायेगा।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- अ) वीएचएफ सेट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर पिछली तीन गाडियों का विवरण साथ में लाइन क्लीयर लेने का समय, प्राइवेट नम्बर तथा ब्लाक खण्ड अवरूद्ध एवं साफ होने का समय लिखा जाये।
- ब) लाइन क्लीयर तभी दिया/लिया जाये जब वीएचएफ सेट की आवाज साफ हो। वीएचएफ सेट का प्रयोग न किया जाये यदि आवाज में इन्डेक्शन हो, डिस्टरबेन्स हो, या कम आवाज सुनाई पड रही हो।
- स) जब वीएचएफ सेट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह है तो वीएचएफ सेट का प्रयोग बन्द कर देना चाहिये। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशनमास्टर संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी हैं।
- द) वीएचएफ सेट पर केवल तीन गाडियों का लाइन क्लीयर लिया जा सकता है। तत्पश्चात् लाइन क्लीयर केवल खण्ड के यातयात निरीक्षक या सुपरवाइजरी एसएम या सुपरवाइजरी स्टेमा० की उपस्थिति में लाइन क्लीयर लिया/दिया जाये।
- 2 (स) लाइन या किसी गाडी की दुर्घटना, असमान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशनों के मध्य गाडियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से सामान्य एवं सहायक नियम 6.01, 6.02, 6.04, 6.07 से 6.11 देखे।)

- 3 यदि कोई मोटर चालित कौटा अनुमुखित चीरते हुये (ट्रेल थ्रू) पार किया गया हो या कौटा विद्युत मशीन द्वारा प्रचालित किसी कौटे पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचालन हुआ हो, तो उक्त कौटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त कौटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के संबंध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन कौटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परिक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी मे अंकित किया जाना चाहिये।

(ख) क्रैन्क हैण्डल द्वारा कौटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्यविधि -

संचालन नियम के पैरा 4.1.5 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 7 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

(ग) कौटों, ट्रेक सर्किट/एक्सल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना -

संकेतन परिशिष्ट 'ख' का पैरा 15 को देखें।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता -

9.1.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है

सामान्य एवं सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर ।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन ।
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन यदि उपलब्ध है ।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे आटो फोन एवं बी०एस०एन०एल० फोन ।
- (ङ) नियंत्रण दूरभाष ।
- (च) वी०एच०एफ० सेट ।

9.1.2 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरूद्ध हो जाने पर गाडी संचालन:

किसी ब्लाक खण्ड में गाडी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये -

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा ।
- (ख) गाडी के इंजन द्वारा ।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या कार्यरत स्टेशन मास्टर ।

टिप्पणी - संचार खोलने के लिये पूरी गाडी नहीं भेजनी चाहिये ।

9.1.3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1-	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/बी 602 इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार सौपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा :-	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को टेक आफ करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को टेक आफ करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369 (3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुये अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई 602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को आन स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाडी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ड)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम संशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाडी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाडी मे लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	
2	यदि प्रेषक स्टेशन की ओर से गाडियों का फ्लो अधिक हो तो प्रतीक्षारत गाडी के पीछे जाने वाली गाडियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी/ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा।	2 इंजन या स्वानोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षारत गाडी गाडियों के लिये सशर्त लाइन क्लीयर संदेश प्राधिकार टी/एफ 602 अपने स्टेशन से जाने वाली गाडियों के लिये लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के शंटिंग लिमिट बोर्ड को पार करने के लिये टी 369 (3 बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौपे जायेगे।

टिप्पणी -

- (क) संचार खोलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक सबसे बाहर के सम्मुख कॉटे के आगे लाइन को अवरूद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 301 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाडियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाडियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाडियों के चालकों को दिशा के अनुसार सशर्त लाइन क्लीयर टिकट प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाडी और पीछे जाने वाली गाडियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

(अतुल सिंह)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

जब कोई गाडी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कडी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किमी० प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किमी० प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढेगा।

9.1.4 सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों -

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकर टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाये कि सामान्य काम-काज शुरू होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीयर टिकट ले चुकी गाडी खण्ड पर न हो। ऐसे सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जो जारी किये जा चुके हो परन्तु उनके आधार पर गाडिया संचालित न हुयी हो को रद्द कर दिया जाना चाहिये।

9.2 दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन कार्य पद्धति - कुछ नहीं।

9.3 बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटना ग्रस्त गाडी के सहायतार्थ गाडियो का प्रस्थान।

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेषक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत ईजन/गाडी ले जाने के लिये प्राधिकार टी/ए ६०२ के निर्धारित फार्म पर चालक को सौपेगा।

[विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i)(ii)(iii), 6.09 (ii)(iii) (1) (2) (3) देखे]

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश -

- 1) अगसौली स्टेशन पर सिगनलों को प्रकाशित रखने के लिये इंटिग्रेटेड पावर सप्लाइ सिस्टम (आई०पी०एस०) का प्रावधान किया गया है। जिससे सभी सिगनल लगातार प्रकाशित रहेगे। उपर्युक्त आई०पी०एस० की मानीटरिंग के लिये सहायक स्टेशन मास्टर के पैनल कक्ष में आडियो बिजवल आई०पी०एस० स्थित प्रकाशित बोर्ड लगाया गया है जिससे निम्न सूचनाये प्रदर्शित होंग
- 2) सामान्यतः छः हरी बत्ती, दो पीली, दो लाल बत्ती सदैव जलती रहती है। अन्य लाल बत्तियां बुझी रहती है।
 - 2.1 छः हरी बत्ती (जेनरेटर स्टार्ट करने के लिये) आई० पी० एस की बैटरी का वोल्टेज 120 वोल्ट से कम होने पर जलती है, जो कि बैटरी वोल्टेज दो वोल्ट के अन्तराल में कम होने पर क्रमशः बुझती जाती है।
 - 2.2 बैटरी वोल्टेज 110 वोल्ट से कम होने पर ऊपर से छठी हरी बत्ती बुझती है तथा बजर के साथ जनरेटर चलाने हेतु आलार्म बजता है। अतः इस स्थिति में जनरेटर चलाकर बैट्री चार्ज की जानी चाहिये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

अगसौली

- 2.3 जनरेटर न चलने की दशा में बैट्री वोल्टेज कम होने पर दोनो पीली बलियां बुझती है तथा आपाल कालीन जनरेटर स्टार्ट आलर्म आता है एवं सिगनल व्यवस्था अकार्यशील हो जायेगी।
- 2.4 जनरेटर स्टार्ट करने के लिये जनरेटर पैनल पर प्रदत्त पुश बटन को दबाया जायेगा अथवा जनरेटर हैण्डल के माध्यम से डी०जी० सेट चलाया जायेगा।
- 3) इस स्टेशन पर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था सामान्यतया आई०पी०एस० से संचालित है। इस आपूर्ति की विफलता के कारणों को दूर कर संपूर्ण सिगनल व्यवस्था को सामान्य किया जा सकेगा।
- (अ) जनरेटर कक्ष में लगे चेन्जओवर स्विच "ए" जो सामान्य स्थिति में सदैव वाणिज्यिक विद्युत आपूर्ति (कामर्शियल पावर सप्लाई) की सरफ लगा रहेगा को जनरेटर साइड में लगा देंगे।
- (ब) इस स्टेशन पर दो जनरेटर क्रमशः जनरेटर संख्या 9 एवं जनरेटर संख्या 2 लगे है। जनरेटर कक्ष में जनरेटर चेन्जओवर स्विच (बी) लगा है जो सामान्यतः बीच में रहता है। जनरेटर को चालू करने के पश्चात सम्बन्धित स्विच को चालू हुये जनरेटर की तरफ लगा दिया जाये।
- (स) सामान्यतया: स्टेशन मास्टर स्टेण्ड वाई जनरेटर संख्या 1 को चालू करेगा। इसके विफल होने पर जनरेटर संख्या 2 को प्रयोग किया जायेगा।
- (द) आई०पी०एस० अधिक अवधि तक विफल रहने पर जनरेटर संख्या 1 तथा 2 को लगभग 2-2 घंटे के अन्तराल में बदल-बदल कर चलाये।

क्रम संख्या	दिनांक	IPS को चार्ज करने का समय घंटा एवं मिनट में	डी०जी०सेट चलने का समय घंटा एवं मिनट में			डीजल आयल भरा गया मात्र लीटर में	हस्ताक्षर स्टेशन मास्टर	रिमार्क
			चालू करने का समय	बंद करने का समय	चलने का कुल समय			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खसपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

- 7) डीजल जनरेटर की सर्विस ओवर हालिंग तथा मरम्मत इत्यादि का विवरण लाग बुक के रिमार्क कालम में इंदराज करे।
- 8) **स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -**
आई०पी०एस० मानीटरिंग पैनल पर आने वाले सूचकों पर विशेष ध्यान रखे एवं सूचक के अनुसार आवश्यक कार्यवाही तुरन्त करे अन्यथा स्टेशन के सभी सिगनल बुझ जायेगे तथा रिले अकार्यशील भी हो जायेगे।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

9) आई०पी०एस० की विफलता पर अपनायी जाने वाली विधि -

- (अ) आई०पी०एस० के फेल होने पर स्टेशन मास्टर किसी भी ट्रेन को लाइन क्लियर देने अथवा किसी अन्य गाडी का परिचालन करने से पहले यह भंली भांति सुनिश्चित कर ले कि साधारण एवं सहा नियम 3.68 से 3.71 के अनुसार गाडी लेने की व्यवस्था कर ली गयी है।
- (ख) यदि लाइन क्लियर देने के पश्चात पिछले स्टेशन से गाडी चल चुकी है तथा किसी कारण वश गाडी की दिशा में पडने वाले सिगनल की रोशनी बुझ चुकी है तो स्टेशन मास्टर किसी सक्षम कर्मचारी को हाथ संकेत देने के लिये प्रतिनियुक्त करेगा तथा बुझे हुये सिगनल के नीचे से आने वाली गाडी के चालक को देने के लिये टी-369 (3बी) भेजेगा जो गाडी को नियमानुसार पायलट करके लायेगा।

10) दृश्यता परीक्षण लक्ष्य -

- (I) मारहरा छोर - दिन व रात्रि में डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या एस-5 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।
- (II) सिकंदरा राऊ छोर - दिन व रात्रि में अप प्रस्थान सिगनल संख्या एस-4 का प्रकाश जैसा कि स्टेशन मास्टर को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देता हो।

11) इस स्टेशन के आवश्यक उपकरण - परिशिष्ट 'ड.' देखें।

12) कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फाग सिगनल मैनों के नाम

कोहरे के समय फाग सिगनल मैन के रूप में कार्यकरने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुये, स्टेशन पर अनुरक्षित फाग सिगनल पंजिका में अलग से तैयार की जायेगी।

परिशिष्टों की सूची

परिशिष्ट	'क'	समपार फाटको का संचालन
परिशिष्ट	'ख'	सिगनल और अन्तर्पाशन की पद्धति
परिशिष्ट	'ग'	टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)
परिशिष्ट	'घ'	गाडी परिचालन कर्मचारियों के कर्त्तव्य
परिशिष्ट	'ड.'	स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
परिशिष्ट	'च'	डी के, स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम
परिशिष्ट	'छ'	विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

टिप्पणी:- इन नियमों को किसी भी स्थिति में सामान्य एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाये।

(अतुल सिंह)

(के०एस०सोनाल)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच)

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"**1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर / अधीक्षक के कर्तव्य**

(क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -

- 1.1 स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 - 1.2 आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना है कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोस्टर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 - 1.3 कर्मचारियों को अपने कार्यों से संबंधित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 - 1.4 कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 - 1.5 समय-समय पर दिन और रात में सिगनलों, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय, तथा नियम पुस्तकों, डायरियों गाड़ी रजिस्ट्रों एवं अन्य रजिस्ट्रों-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 - 1.6 यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 - 1.7 आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 - 1.8 सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 - 1.9 यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगा।
- (घ) मोटर चालित कॉटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक / स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (i) (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य -

कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर ओर गाड़ियों के संचालन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचालन से संबंधित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेगें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -

- 2.1 यार्ड, कॉटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वांछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त हाने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करे। यह भी सुनिश्चित करे कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मदों का उल्लेख कर दिया गया है।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०, इज्जतनगर

- 2.2 अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकार का देना तथा प्राप्त करना।
- 2.3 ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियंत्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
- 2.4 साधारण एवं सहायक नियम तथा स्टेशन कार्य प्रणाली के अनुसार सभी गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान सुनिश्चित करना।
- 2.5 सभी सिगनल प्रचालनों का नियंत्रण।
- 2.6 शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
- 2.7 जाने वाली गाड़ियों के चालकों को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
- 2.8 स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।
- 2.9 गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
- 2.10 कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
- 2.11 जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
- 2.12 मोटर चालित कॉटों की विफलता की स्थिति में स्टेशन अधीक्षक/स्टेशन मास्टर का कर्तव्य है कि वह सामान्य नियम 3.39 (i) (ii) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित व्यक्तिगत रूप से करेगा।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कॉटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के संबंध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कॉटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कॉटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है -

(क) गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे -

- (1) सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना।
- (2) कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
- (3) सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
- (4) दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि के समय फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देकर गाड़ी के पूरी आने जाने को सुनिश्चित करना।
- (5) कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
- (6) आवश्यकता पडने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
- (7) कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना।
- (8) विफलता की स्थिति में उनके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/25

अगसौली

- (9) कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना ।
- (i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के संबंध में ।
- (ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा हाने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है ।
- (10) स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनों की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना ।
- (11) स्टेशन पर वाहनों संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना ।

टिप्पणी :

विफलता की स्थिति में जब कॉटे, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, उनका वह पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हे पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

4. **फाटकवाला के कर्तव्य** - सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा ।

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)/इज्जतनगर

परिशिष्टि “ ड. ”स्टेशन पर आवश्यक उपकरण -

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेगे -

1-	हाथ सिगनल बत्ती (बैट्री चालित) के०आयल	04 02 (Lcg 270/C हेतु)
2-	हाथ सिगनल झण्डी	06 हरी तथा 07 लाल
3-	पदाखा सिगनल	50
4-	सुरक्षा जंजीरे	04 तालों सहित
5-	क्लैम्प	06 तालों सहित
6-	अग्निशामक यंत्र	02
7-	फायर बकेट	06
8-	प्राथमिक चिकित्सा बाक्स	01
9-	लकड़ी के गुटके	04

(के०एस०सोनाल)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सो)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'च'

डी०के०स्टेशन, आई०बी०एच०,आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्ड पर गाड़ियों के परिचालन के नियम

“ लागू नहीं ”

(के०एस०सोनाल)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक (सा)/इज्जतनगर